KT-2

निरीक्षण प्रतिवेदन

कार्यालय :- थाना कार्यालय, नुआँव

निरीक्षण की तिथिः- 03.11.2004

डॉ. बी. राजेन्दर, भा.प्र.से.,
समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
कैमूर (भभुआ) ।

डा0 बी0राजेन्दर,भा.प्र.से.समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी कैमूर(भभुआ) द्वारा दिनांक-03.11.2004 को थाना कार्यालय नुआंव का किये गये निरीक्षण की निरीक्षण टिप्पणी ।

1. परिचय

थाना कार्यालय नुआंव वर्ष 1975 से कार्यरत है । इस थाना को सरकार द्वारा अधिसूचित किये जाने संबंधी अधिसूचना की मांग किये जाने पर थाना प्रभारी द्वारा उपलब्ध नहीं कराया जा सका । उन्हें निदेश दिया गया कि आरक्षी अधीक्षक अथवा आरक्षी उप महानिरीक्षक क कार्यालय से अधिसूचना की प्रति प्राप्त कर थाना कार्यालय में संधारित करें । थाना कार्यालय नुआंव मोहनियां-बक्सर मुख्य सड़क के बगल में रामगढ़ से 12 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है । इस थाना के उत्तर मे बक्सर जिले का राजपुर थाना, दक्षिण में रामगढ़ थाना , पूरब में रोहतास जिले का कोचस थाना तथा पश्चिम में उत्तर प्रदेश का गाजीपुर जिला स्थित है । जिले की सीमा पर स्थित होने के कारण इसकी संवेदनशीलता को देखते हुए विधि व्यवस्था संधारण करने के दृष्टिकोण से सरकार द्वारा इस थाना के अन्तर्गत दो सहायक थाना कुढ़नी और कुछिला का गठन किया गया है ।

पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार निरीक्षण हेतु तिथि निर्धारित होने के बावजूद थाना प्रभारी द्वारा निरीक्षण टिप्पणी तैयार नहीं की गयी है और न ही आवश्यक कागजात ही व्यवस्थित किये गये है । यह प्रक्रिया उचि नहीं है । थाना प्रभारी इस संबंध में अपना स्पष्टीकरण दें । निदेश दिया गया कि उच्चाधिकारी के निरीक्षण की जानकारी होने के बाद पूर्व से ही निरीक्षण टिप्पणी तैयार कर लिया जाय और अन्य सभी आवश्यक कागजात व्यवस्थित कर लिये जांय ।

नुआंव थाना से संबंधित अन्य सूचनायें निम्नलिखित है :-

वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार कुल जन संख्या-	97639
पुरूषों की संख्या-	51555
महिलाओं की संख्या-	46484
पुरूष साक्षरों की संख्या-	03414
महिला साक्षरों की संख्या-	08094
महाविद्यालयों की संख्या-	शून्य
उच्च विद्यालयों की संख्या-	03

मध्य विद्यालयों की संख्या-	14
प्राथमिक विद्यालयों की संख्या-	40
बुनियादी विद्यालयों की संख्या-	01
थाना का कुल रकवा	39203-54 एकड़
कृषि योग्य भूमि का रकवा	38728-99 एकड़
कुल पंचायतों की संख्या-	10
कुल राजस्व ग्रामों की संख्या-	92
कुल हल्कों की संख्या-	06
कुल थाना की संख्या-	03
सिंचित भूमि का रकवा	32836 एकड़
असिंचित भूमि का रकवा	05892 एकड
चिरागी ग्रामों की संख्या-	65
बेचिरागी ग्रामों की संख्या-	27
आंगनबाडी केन्द्रों की संख्या-	68
स्वास्थ्य उप केन्द्रों की संख्या-	05
राजकीय चिकित्सालयों की संख्या-	शून्य
पशु चिकित्सालयों की संख्या-	01
बैंकों की संख्या-	01
आयुर्वेदिक औषधालयों की संख्या-	01
पेट्रोल पम्प की संख्या-	शून्य
ईट भटठों की संख्या-	09
कुल शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों की संख्या-	107

(2) भवन

मोहनियां-बक्सर मुख्य सड़क से 100 गज की दूरी पर थाना कार्यालय अवस्थित है । थाना कार्यालय के भवन की स्थिति दुरूस्त नही है इसकी मरम्मति एवं रंगाई पोताई कराने की आवश्यकता है । थाना प्रभारी के आवास के लिए सरकारी भवन नहीं है कार्यालय भवन के एक हिस्से में थाना प्रभारी आवासीत है, इनके द्वारा बताया गया कि इस थाना का अपना भवन बनकर तैयार हो गया है लेकिन अप्रोच रोड नहीं होने के कारण थाना कार्यालय को नये भवन में स्थानान्तरित नहीं किया जा सका है । पुलिस पदाधिकारी के आवास के लिए आवासीय भवन का कार्य अधूरा पड़ा हुआ है क्योंकि ठीकेदार उक्त भवन को अधूरा छोड़कर भाग गया है । अधूरे आवासीय भवन का निर्माण कार्य पूर्ण कराने हेतु बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के प्रबंध निदेशक को पत्र लिखा जाय कि इसको पूर्ण कराने की दिशा में कार्रवाई किया जाय तथा उस ठीकेदार के विरूद्ध भी कार्रवाई की जाय।

(3) प्रभार

श्री जयशंकर झा,अ0नि0 दिनांक-22.04.2003 से लेकर निरीक्षण की तिथि तक थाना प्रभारी नुआंव के पद पर पदस्थापित है । इनके पूर्व श्री शशिभूषण अ0नि0 दिनांक-22.06.2001 से 12.04.2003 तक पदस्थापित रहे है ।

प्रारम्भ से लेकर निरीक्षण की तिथि तक इस थाना में पदस्थापित थाना प्रभारियों की विवरणी निम्न प्रकार है :-

क्रमांक	थाना प्रभारियों का नाम	कब से	कबतक	पूर्व पदस्थापित स्थान	गृह पता	अभियुक्त
1	2	3	4	5	6	7
1	अ0नि0 जे.सी.सिंकू	15.10.87	27.07.90	अधौरा थाना	ग्राम+पो0-जामडीह,थाना-टोन्डों जिला सिंहभूम	
2	अ0नि0 जयनाथ मिश्र	25.03.91	19.11.91	आरक्षी केन्द्र डिहरी	ग्राम+पो0-रसलपुर,थाना-अमनौर जिला छपरा	
3	अ0नि0अनिल कुमार सिंह	29.11.91	08.04.92	स0थाना सोनहन	ग्राम+पो0-बदलपुरा,थाना-मटियानी,जिला-वेगू सराय	
4	अ0नि0विवियानुस कुजूर	24.05.92	05.02.93	कुढ़नी थाना	ग्राम-कुकरूंजा,थाना-चैनपुर जिला गुमला	
5	अ0नि हरिहर नाथ	07.02.93	29.11.	आरक्षी केन्द्र	ग्राम व पोस्ट - पैनाल	

	सिंह		93	मोहनियां		
6	अ0नि0देवेन्द्र नाथ पाठक	27.11.93	19.06.94	डी.सी.बी.कार्यालय भभुआ	ग्राम-कतिराबाग महाराजा हाता,थाना नवादा जिला भोजपुर	
7	अ0नि0 लखन राम	19.06.94	07.07.96	कुदरा थाना	ग्राम कुकरूंजा,थाना चैनपुर जिला गुमला	
8	अ0नि0विवियानुस कुजूर	07.07.96	22.12.96	कुदरा थाना	ग्राम-कुकरूंजा,थाना-चैनपुर जिला गुमला	
9	अ0नि0 राजनारायण सिंह	23.12.96	03.08.97	चैनपुर थाना	ग्राम-सरहाया,पो0-बीबीपुर,थाना+जिला बैशाली	
10	अ0नि0उमेश प्रसाद सिंह	08.08.97	09.06.98	कुछिला थाना	ग्राम व पो0-खखनीकला,थाना अगियांव बाज़ार जिला भोजपुर (आरा)	
11	अ0नि0सुबोध कुमार ठाकुर	09.06.98	20.06.01	भभुआ थाना	ग्राम विद्यापुरी सुपौल पो0+थाना+जिला-सुपौल	
12	अ0नि0शशिभूषण	22.06.01	12.04.03	दुर्गावती थाना	ग्राम+पो0-सकरीसरैया थाना कुढ़नी जिला- मुजफ्फरपुर	
13	अ0नि0जयशंकर झा	22.04.03	अबतक	आरक्षी केन्द्र मोहनियां	ग्राम+पो0-लखनपुरा(वाराहाट)थाना पंजवारा,जिला-बांका ।	

(4) स्थापना

श्री सुबोध कुमार ठाकुर ,दिनांक-09.06.98 से 20.06.98 तक थाना प्रभारी नुआंव के पद पर पदस्थापित थे । उ
बाद श्री शशिभूषण 22.06.2001 से 12.04.2003 तक कार्यरत रहे । इसके बाद लगभग 09 दिन तक इस थाना में कोई थ
प्रभारी पदस्थापित नहीं रहे । इसके बाद दिनांक-22.04.2003 से निरीक्षण के समय तक श्री जयशंकर झा, पदस्थापित है ।

नुआंव थाना में विभिन्न कोटि के स्वीकृत एवं पदस्थापित पुलिस पदाधिकारियों एवं पुलिस कर्मचारियों की स्थिति निम्न प्रकार है :-

क्रमांक	पदनाम	स्वीकृत बल	कार्यरत बल	रिक्ति
1	2	3	4	5
1	अवर निरीक्षक	अवर निरीक्षक - 1	अवर निरीक्षक - 1	X
2	सहायक अवर निरीक्षक	सहायक अवर निरीक्षक-1	सहायक अवर निरीक्षक-2	
3	हवलदार	हवलदार - 1	हवलदार -शून्य	X
4	आरक्षी	आरक्षी - 1	आरक्षी - 1	X
5	दफादार	दफादार -3	दफादार-1	2
6	चौकीदार	चौकीदार -20	चौकीदार-14	6

उपरोक्त विवरणी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि इस थाना में हवलदार का एक पद स्वीकृत है जिसके विरूद्ध पदस्थापन शून्य है । इसी प्रकार स0अ0नि0 का एक पद स्वीकृत है लेकिन दो स0अ0नि0 पदस्थापित है ।इसके अतिरिक्त दफादार के स्वीकृत तीन पद के विरूद्ध पदस्थापन एक है तथा चौकीदार के स्वीकृत 20 पद के विरूद्ध पदस्थापन 16 है अर्थात दफादार का दो एवं चौकीदार का 6 पद रिक्त है । निदेश दिया गया कि इस असमानता को दूर कर स्वीकृत बल के अनुरूप पदस्थापन की कार्रवाई सुनिश्चित की जाय ।

(5) पूर्व निरीक्षण

इस थाना का पूर्व में किये गये निरीक्षण संबंधी विवरणी की मांग किये जाने पर थाना प्रभारी द्वारा उपलब्ध नहीं कराई जा सकी । सरकारी नियमानुसार किसी भी पदाधिकारी द्वारा कार्यालय का किये गये निरीक्षण की निरीक्षण टिप्पणी को गार्ड फाईल में संधारित करने का प्रावधान है । लेकिन इस थाना में गार्ड फाईल नहीं संधारित किया गया है । थाना प्रभारी को निदेश दिया गया कि पूर्व में किये गये सभी पदाधिकारियों के निरीक्षण टिप्पणी को गार्ड फाईल में संधारित कर अनुपालन प्रतिवेदन से अवगत करावें ।

(6) थाना दैनिकी

बिहार पुलिस हस्तक के नियम 116 के तहत फार्म सं0-15 में थाना दैनिकी संधारित किया गया है ।यह दैनिकी प्रातः 08.00 बजे से प्रारम्भ होती है और अगले दिन प्रातः 08.00 बजे तक अर्थात 24 घंटे चलता है । इसे दो प्रतियों में तैयार किया जाता है जिसकी कार्बन प्रति प्रतिदिन आरक्षी निरीक्षक को भेजना तथा आरक्षी निरीक्षक द्वारा महीने भर की दैनिकी संकलित कर महीना के अन्त में आरक्षी अधीक्षक को भेजा जाना है । थाना दैनिकी में थाना के अन्दर जो घटनाये घटित होती है उसकी प्रविष्टि की जाती है । थाना दैनिकी एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है ।

(7) फिरारी पंजी

बिहार पुलिस हस्तक के नियम 118 के तहत् फार्म 16 में फिरारी पंजी संधारित करना है । इस थाना में यह पंजी संधारित की गयी । जिसका अवलोकन किया गया और पाया गया कि इस थाना में फिरारियों की संख्या 03 है जो निम्न लिखित है:-

क्रमांक	फिरारियों का नाम	पिता का नाम	पता
1	श्री मकसूदन यादव	पे0 स्व0 महेन्द्र यादव	सा0 पंजरांव थाना नुआंव जिला कैमूर
2	श्री अर्जुद यादव	पे0 स्व0 दालगजन यादव	सा0-पंजरांव थाना नुआंव जिला कैमूर
3	श्री अजीत सिंह उर्फ पप्पू सिंह	पे0 स्व0रामनारायण सिंह	सा0-गोडसरा थाना नुआंव जिला कैमूर

पहला फिरारी श्री मकसूदन यादव है जो विगत तीन वर्षो से फरार है। फिरारी पंजी में इसके संबंध में कोई नियमित प्रविष्टि नहीं की गयी है । दूसरा फिरारी श्री अर्जुन यादव है जो विगत तीन वर्ष की अवधि से फरार है । तिसरा श्री अजीत सिंह उर्फ पप्पू सिंह है जो दो वर्ष की अवधि से फरार है । फिरारी पंजी में इसके संबंध में भी नियमित प्रविष्टि अंकित नही की गयी ।थाना प्रभारी को सभी फिरारियों के यहां प्रत्येक 15 दिन पर जाना है और उसका सत्यापन करना है लेकि फिरारी पंजी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि थाना प्रभारी नुआंव द्वारा वर्ष 2001 के बाद एक भी फिरारियों का सत्यापन नहीं किया गया हे । इन्हें निर्देश दिया गया कि फिरारी पंजी को दो भाग में संधारित किया जाय जिसके भाग 1 में अपने थाना के अपराधकर्मी का नाम एवं भाग

में दूसरे थाना के अपराध कर्मी का नाम अंकित किया जाय । इस हेतु सघन अभियान चलाकर औचक रूप से छापामारी करें एवं गुप्तचर के द्वारा उनके उपलब्धता की जानकारी प्राप्त करें । फिरारी पंजी में दर्ज करने हेतु आरक्षी अधीक्षक को नये प्रस्ताव भेजें ।

(8) गिरफ्तार अपराधियों की पंजी

बिहार पुलिस हस्तक के नियम 171 के तहत् फार्म 31ए में इस पंजी का संधारण करना है ।इस थाना में यह पंजी संधारित है लेकिन अद्यतन नही है । गिरफ्तार अपराधियों की पंजी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पंजी है । इसमें अद्यतन प्रविष्टि नहीं करना एक गम्भीर बात है इसको अद्यतन नहीं रहने से गिरफ्तार किये गये अपराधियों की स्थिति से संबंधित कोई जानकारी नहीं उपलब्ध हो पाती है । थाना प्रभारी इस संबंध में अपना स्पष्टीकरण दें कि इसे अद्यतन क्यों नही किया गया है।

(9) रिटर्न ऑफ अनएक्सक्यूटेड वारंट

1. बिहार पुलिस हस्तक के नियम 109 के तहत् फार्म सं0-50 में इस पंजी को संधारित करना है ।इस थाना में इस पंजी को संधारित किये जाने की बात बताई गयी लेकिन मांग करने पर थाना प्रभारी नुआंव द्वारा उपलब्ध नहीं कराया जा सका ।पंजी उपलब्ध नहीं होने के कारण उसका अवलोकन एवं समीक्षा नहीं की जा सकी । थाना प्रभारी को निदेश दिया गया कि माहवार प्राप्त,निष्पादित एवं लम्बित वारंटों की स्थिति संबंधी प्रतिवेदन अवलोकनार्थ प्रेषित करें ।इसके साथ ही यह भी निदेश दिया गया कि अकार्यान्वित वारंटों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करते हुए अभियुक्तों की गिरफ्तारी करें ताकि अपराधियों का मनोबल टूट जाय और शान्ति व्यवस्था बनी रहे

(10) रजिस्टर ऑफ आर्म्स लाईसेन्स

बिहार पुलिस हस्तक के नियम 130 के तहत् फार्म सं0-25 में इस पंजी को संधारित किया जाना है । इस थाना में यह पंजी संधारित है जिसका अवलोकन करने पर पाया गया कि इस थाना में 107 अनुज्ञप्ति धारी है जिसकी विवरणी निम्नलिखित है:-

क्रमांक	अनुज्ञप्ति का प्रकार	संख्या
1	रिवाल्वर	01
2	.S.B.B.L.Gun	31
3	D.B.B.L. Gun	58

4	राईफल	14
5	S.B.M.L. चिडिमार	01
6	एकनाली बन्दुक	01

बिहार शस्त्र अधिनियम 48 के अन्तर्गत प्रत्येक 6 महीना पर इस पंजी का मिलान जिला शस्त्र कार्यालय से किया जाना है परन्तु इस पंजी का सत्यापन अद्यतन समय तक नही कराया गया है । थाना प्रभारी को निदेश दिया गया कि नियमित रूप से इसका सत्यापन जिला सामान्य शाखा से कराकर अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करें ।

11 हाजत पंजी

बिहार पुलस हस्तक के भौलूम II के नियम 239ए में इस पंजी को संधारित किया जाना है । इस थाना में यह पंजी संधारित है परन्तु विहित प्रपत्र में नहीं है । इसे सादे कागज में संधारित किया गया है । पंजी का अवलोकन किया और पाया कि भरे गये पंजी में यह अंकित नहीं किया गया है कि किस समय कौन सिपाही ड्यूटी पर है । यह बहुत ही महत्वपूर्ण पंजी है । समुचित ढ़ंग से इसको नहीं भरा जाना उचित नहीं है । थाना प्रभारी को निदेश ानिदेश दिया जाता है कि आरक्षी अर्धाक्षक कार्यालय से विहित प्रपत्र प्राप्त कर एक सप्ताह के अन्दर विहित प्रपत्र में इस पंजी को संधारित करते हुए अनुपालन प्रतिवेदन दें एवं यह सुनिश्चित करें कि इसके सभी कॉलमों को भरा जाय । यदि इस पंजी का संधारण सही ढ़ंग से नहीं किया जाता है,कॉलम खाली छोड़े जाते है और संयोगवश यदि बन्दी के साथ कोई अप्रिय घटना घट जाती है तो ऐसी स्थिति में यही माना जायेगा कि थाना प्रभारी द्वारा अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाही वरती गयी है । यह पंजी उस समय और भी महत्वपूर्ण हो जाती है जब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अथवा न्यायालय द्वारा किसी मामले में इस पंजी से संबंधित कोई प्रतिवेदन की मांग की जाती है । उस समय यह पंजी काफी उपयोगी सिद्ध होती है ।

12 तख्ती नं0-1

बिहार आरक्षी हस्तक के नियम 76 के तहत् तख्तियों को संधारित करना है । तख्ती नं0-1 में सरकारी सम्पत्ति की विवरणी दर्ज रहती है । इस थाना में यह पंजी संधारित है जो अद्यतन है ।थाना प्रभारी को निदेश दिया जाता है कि परिचारी प्रवर आरक्षी केन्द्र मोहनियां से सम्पर्क कर सरकारी सम्पत्ति की अद्यतन स्थिति प्राप्त कर एवं इस तख्ती में दर्ज करते हुए अद्यतन करएक

सप्ताह के अन्दर अनुपालन प्रतिवेदन से अवगति करावें । सरकारी सम्पत्ति के साथ साथ थाना परिसर में रखे गये अन्य सरकारी वाहन एवं लावारिस सम्पत्ति को भी दर्ज करें ताकि पूर्ण जानकारी हो सके एवं सरकारी सम्पत्ति को हड़पने या इसकी क्षति पहुंचाने की सम्भावना से बचा जा सके ।

13 तख्ती नं0-2

इस तख्ती में थाना में पदस्थापित हर पंक्ति के पदाधिकारियों/आरक्षियों का नाम,पदनाम एवं पता इस तख्ती में अंकित किया जाता है । इस थाना में यह पंजी संधारित है तथा अद्यतन है ।

14- तख्ती नं0-3

इस तख्ती में विस्फोटक अधिनियम के अधीन अनुज्ञा पत्र-प्राप्त कारखाने भंडार और दूकानों की सूची रखी जाती हे ।इस थाना में यह तख्ती संधारित है लेकिन प्रतिवेदन शून्य है ।

15- तख्ती नं0-4

इस तख्ती में आयुध,गोला बारूद भंडार तथा कारखाने की सूची रखी जाती है । इस थाना में तख्ती संधारित है लेकिन प्रतिवेदन शून्य है।

16- तख्ती नं0-5

इस तख्ती में विष अधिनियम के अधीन अनुज्ञा पत्र प्राप्त दूकानों की सूची रखी जाती है,।इस थाना में यह पंजी संधारित नही है ।थाना प्रभारी द्वारा बताया गया कि इस थाना में इस प्रकार का कोई मामला नही है ।

17- तख्ती नं0-6

इस तख्ती में उत्पाद शुल्क और अफीम अधिनियमों के अधीन अनुज्ञा पत्र प्राप्त दूकानों की सूची रखी जाती है । थाना प्रभारी द्वारा बताया गया कि इस थाना में एक शराब की दूकान है ।

18- तख्ती नं0-7

इस तख्ती में लम्बित अन्वेषण काण्ड से संबंधित पदाधिकारियों का नाम अंकित किया जाता है । इस थाना में यह तख्ती संधारित है तथा अद्यतन है ।

19- तख्ती नं0-8

इस तख्ती में जूआ,गेसिंग सेन्टर आदि के संबंध में सूचना अंकित की जाती है । इस संबंध में थाना प्रभारी नुआंव द्वारा बताया गया कि इस प्रकार का कोई मामला इस थाना में नहीं है ।

20- तख्ती नं0-9

इस तख्ती में थाना क्षेत्र के अन्तर्गत लगनेवाले हाट,बाजार एवं मेले की सूचना अंकित रहती है । थाना प्रभारी द्वारा बताया गया कि थाना मुख्यालय को छोड़कर अन्य कोई हाट बाजार एवं मेला इस क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं लगता है ।

21- तख्ती नं0-10

इस तख्ती में थाना क्षेत्र के पंचायतों के अध्यक्षों,मुखियों ग्राम पंचायतों के सरपंचों एवं प्रखण्ड समितियों के अध्यक्षों के नाम लिखें जाते है । इस थाना में यह पंजी संधारित की गयी है

22- तख्ती नं0-11

इस तख्ती में नियम 152 के तहत् निर्धारित प्रपत्र में सूचना संधारित की जाती है । इस थाना में यह तख्ती संधारित है लेकिन विहित प्रपत्र में नहीं है । थाना प्रभारी विहित प्रपत्र में संधारित कर अनुपालन प्रतिवेदन से अवगत करावें ।

23- तख्ती नं0-12

इस तख्ती में दागी व्यक्तियों की सूची रखी जाती है । इस थाना के दागी व्यक्तियों की विवरणी की मांग किये जाने पर थाना प्रभारी द्वारा उपलब्ध नहीं कराया जा सका । थाना प्रभारी को निदेश दिया गया नुआंव थाना अन्तर्गत कुल दागी व्यक्तियों की विवरणी उपलब्ध कराई जाय ।

24- तख्ती नं0-13

इस तख्ती में सीमावर्ती थानों के सक्रिय अपराधियों की सूची रखी जाती है । इसमें तीन श्रेणी होती है ए.बी.एवं. सी. इस थाना में यह तख्ती संधारित है लेकिन अद्यतन नही है । थाना प्रभारी को निदेश दिया गया कि एक सप्ताह के अन्दर इसको अद्यतन कर सूचित करें ।

25 तख्ती नं0-14

इस तख्ती में अधिनियों को भेजी जानेवाली विवरणियां दर्ज रहती है । इस थाना में यह तख्ती संधारित है लेकिन अद्यतन नही है । निदेश दिया गया कि एक सप्ताह के अन्दर इसको अद्यतन कर सूचित करें ।

26- तख्ती नं0-15

इस तख्ती में बिहार हस्तक के नियम 131 के अनुसार रखे जानेवाले अपराध मानचित्र के अतिरिक्त एक छपा हुआ थाना मानचित्र भी टंगा रहेगा जिसपर शराब की भट्ठियां,शराब की दूकानें सार्वजनिक घाट,चौकीदारी यूनियन की सीमाएं,सीमावर्ती आरक्षी थानों के चित्र चिपकायें जायेगें तथा इस थाना का मानचित्र भी रखा जाना है । इस थाना में यह तख्ती संधारित है ।मानचित्र भी रखा गया है लेकिन उसका इन्डेक्सिंग नही किया गया है मात्र खानापुरी की गयी है । थाना प्रभारी को निदेश दिया जाता है कि नियम 131 के तहत् एक सप्ताह के अन्दर आवश्यक कार्रवाई करते हुए अनुपालन प्रतिवेदन भेजें ।

27- तख्ती नं0-16

इस तख्ती में सरकारी अधिसूचना की प्रति,थाना नं0,गांवों की संख्या,आबादी एवं क्षेत्रफल आदि संधारित किया जाता है । इस थाना में सरकारी अधिसूचना की प्रति संधारित नहीं है । थाना प्रभारी को निदेश दिया जाता है कि आरक्षी अधीक्षक कार्यालय अथवा आरक्षी महानिरीक्षण कार्यालय से सरकारी अधिसूचना की प्रति प्राप्त कर 15 दिनों के अन्दर संधारित करें एवं उसकी एक प्रति उपलब्ध करायें ।

उपरोक्त सभी तख्तियों के अवलोकन से स्पष्ट है कि तख्तियां तो संधारित की गयी है किन्तु कुछ तख्तियां अद्यतन नही है,कुछ तख्तियां सादे पंजी में संधारित की गयी है तथा कुछ तख्तियां संधारित भी नही की गयी है । थाना प्रभारी नुआंव निर्धारित समय सीमा के अन्दर सभी तख्तियों को निर्धारित समय सीमा के अन्दर संधारित करते हुए उसमें अद्यतन सूचनायें दर्ज कर अनुपालन प्रतिवेदन से अवगत करावें ।

28- सब इन्सपेक्टर नोट बुक

बिहार पुलिस हस्तक के नियम 357 के तहत् फार्म सं0-75 बी में सब इन्सपेक्टर नोट बुक संधारित करना है । बताया गया कि इस थाना में नोट बुक संधारित किया गया है लेकिन मांग करने पर बताया गया कि नोट बुक आरक्षी अधीक्षक कार्यालय के गोपनीय शाखा में हे । निदेश दिया गया कि नोट बुक निजी छायरी में संधारित किया जाता है एवं इसमें महत्वपूर्ण सूचनाओं/घटनाओं की सूचना दर्ज की जाती है ।

29- खतियान इन्सपेक्शन रजिस्टर पार्ट-1

इस पंजी का संधारण दो भाग में किया जाता है । प्रथम भाग में 52 कॉलम होते है तथा द्वितीय भाग का संधारण इन्सपेक्टर द्वारा किया जाता है । इस थाना में यह पंजी संधारित नही की गयी है । निदेश दिया गया कि एक सप्ताह के अन्दर इसको अद्यतन कर सूचित करें ।

30- सी0डी0पार्ट-I

इसमें दागी व्यक्तियों (डोसियर्स) की सूची रखी जाती है । इस संबंध में पूछे जाने पर थाना प्रभारी द्वारा कोई संतोषजनक उत्तर नही दिया जा सका ।ऐसा प्रतीत होता है कि इस थाना के गठन के लगभग 20 वर्षो के बाद भी अभी तक दागी व्यक्तियों की पंजी नहीं खाली जा सकी है । निदेश दिया गया कि एक सप्ताह के अन्दर इसको अद्यतन कर सूचित करें ।

31- सी0डी0पार्ट-II

इस पंजी में सम्पत्ति से संबंधित अपराध के मामले दर्ज किये जाते है । जब किसी व्यक्ति के विरूद्ध अपराध साबित हो जाता है तो उसे इस पंजी में सूचीबद्ध कर दिया जाता है । इस पंजी में दूसरे थाना का केश लाल स्याही से एवं अपने थाना का

केश काला स्याही से अंकित किया जाता है । इस थाना में यह पंजी संधारित है लेकिन इसमें दिनांक-17.02.2004 तक ही प्रविष्टि की गयी है । थाना प्रभारी को निदेश दिया जाता है कि इस संबंध में पूर्ण छानबीन करने के पश्चात इसको अद्यतन करते हुए एक सप्ताह में अनुपालन प्रतिवेदन दें एवं भविष्य में नियमित रूप से इसकी प्रविष्टि सुनिश्चित करें ।

32- सी0डी0पार्ट-III

इस पंजी में थाना क्षेत्र के अति महत्वपूर्ण विषयों पर यथा धार्मिक,कृषि,साम्प्रदायिक,भू-विवाद,राजनैतिक मामलों पर गोपनीय अभ्युक्तियां वर्षवार अंकित की जाती है । इस थाना में यह पंजी संधारित है लेकिन अद्यतन नही है । थाना प्रभारी को निदेश दिया जाता है कि इसको अद्यतन कर लिया जाय ।

33- अल्फावेट अनक्रमणी पंजी

यदि किसी व्यक्ति के चरित्र सत्यापन का मामला आता है तो उसे अल्फावेट अनुक्रमणी पंजी से नाम देखकर सी0डी0पार्ट-II से जानकारी ली जाती है ।अल्फावेट पंजी में वैसे व्यक्तियों का नाम रहता है जो किसी मामले में संलिप्त होते है । यह पंजी सी0डी0पार्ठ II में अंकित व्यक्तियों के आधार पर बनाई जाती है ।यदि इस पंजी में अंकित व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसका नाम लाल स्याही से काट दिया जाता है । इस थाना में यह पंजी संधारित है लेकिन अद्यतन नहीं है । निदेश दिया जाता है कि 10 दिन के अन्दर इसको अद्यतन करके अनुपालन प्रतिवेदन से अवगत कराया जाय ।

34- एम0ओ0 रजिस्टर

बिहार आरक्षी हस्तक के नियम 357 के तहत् फार्म 76ए में एम0ओ0 रजिस्टर का संधारण करना है । इस रजिस्टर में अपराधियों के अपराध करने की शैली जैसे लूट पाट किया गया अथवा नही,लाठी डंडा से मारपीट किया गया या नही,उनके द्वारा जाते समय क्या बोला गया आदि की प्रविष्टि की जाती है । इस थाना में यह पंजी संधारित की गयी है लेकिन अद्यतन नही है । निदेश दिया जाता है कि इसको अद्यतन कर अनुपालन प्रतिवेदन से अवगत करावें ।

35- अप्राकृतिक मृत्यु

अप्राकृतिक मृत्यु पंजी संधारित की गयी है जिसका अवलोकन किया और पाया कि वर्ष 2004 में निरीक्षण की तिथि तक मात्र एक व्यक्ति की अप्राकृतिक मृत्य विषपान करने के कारण हुई है । इस थाना के अन्तर्गत विगत पांच वर्षो में अप्राकृतिक मृत्यु का आंकड़ा निम्न प्रकार है :-

वर्ष	जल में डूब कर मरने से	आग में जलने से	पेड़ पर से गिरकर मरने से	बिजली लगने से मरने से	बज्रपात से	फांसी लगाकर मरने से	जहर खाने से	छत सेगिरने से मृत्यु	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1999	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2000	--	--	--	--	--	1	1	--	2
2001	2	1	--	1	--	--	1	--	5
2002	--	--	--	1	--	--	--	--	1
2003	--	--	--	--	--	--	--	1	1
2004	--	--	--	--	--	--	1	--	1

उपरोक्त आंकड़ों के अवलोकन एवं की गयी समीक्षा से स्पष्ट होता है कि वर्ष 2003 के एक एवं वर्ष 2004 के एक मामले अभी लम्बित है जिसकी विवरणी अनुमण्डल पदाधिकारी को नही भेजी गयी है । थाना प्रभारी को निदेश दिया जाता है कि लम्बित मामलों की विवरणी अनुमण्डल पदाधिकारी मोहनियां को उपलब्ध करा दिये जांय जिसमें यह स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए कि कौन मामला किस पदाधिकारी के यहां लम्बित है।

36- अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार अधिनियम के तहत दर्ज मामलों की पंजी

अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार अधिनियम के तहत् दर्ज किये गये मामलों की पंजी संधारित की गयी है । जिसके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि इस थाना में अनसूचित जाति/जनजाति अत्याचार अधिनियम से संबंध एक मामला दर्ज है । थाना प्रभारी को निदेश दिया जाता है कि इस अधिनियम के अन्तर्गत अलग से पंजी संधारित कर शिकायत/आवेदन पत्र प्राप्त होने पर त्वरित गति से निष्पक्ष कार्रवाई करें ताकि इस अधिनियम के बारे में आम लोगों को जानकारी मिल सके एवं पुलिस प्रशासन के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ें । जिला स्तर पर प्रत्येक बृहस्पतिवार को आयोजित जनता दरबार में अक्सर लोगों द्वारा शिकायत की जाती है

कि थाना प्रभारी द्वारा उनका मामला दर्ज नही किया जाता है,उन्हें समुचित मदद नही की जाती है । विदित हो कि जिले की सीमा पर अवस्थित होने के कारण नुआंव थाना क्षेत्र अत्यन्त ही संवेदनशील है एवं आए दिन इस क्षेत्र के संबंध में विभिन्न प्रकार की शिकायतें प्राप्त होती रहती है । अतः थाना प्रभारी इसपर विशेष ध्यान दें एवं इस अधिनियम को सख्ती से लागू कराना सुनिश्चित करें।

37- रजिस्टर आफ आर्म्स डिपोजिटेड इन पुलिस स्टेशन

बिहार पुलिस हस्तक के नियम 325 के तहत् फार्म 67 में यह पंजी संधारित करना है । इस थाना में यह पंजी संधारित की गयी है । थाना प्रभारी द्वारा बताया गया कि निरीक्षण की तिथि तक इस थाना में कुल 6-7 शस्त्र जमा किये गये है ।

38- दैनिक एवं साप्ताहिक प्रतिवेदन

पुलिस हस्तक के नियम 59(क) के तहत् फार्म सं0-6ए में यह प्रतिवेदन प्रेषित किया जाना है लेकिन आरक्षी निरीक्षकों द्वारा यह प्रतिवेदन अनुमण्डल पदाधिकारी को नही भेजा जा रहा है । नियम 59(क) में स्पष्ट रूप से निदेश दिया गया है कि प्रपत्र संख्या-6ए में जो नित्य प्रेषित किया जायेगा,उन केशों का विवरण रहेगा जो प्रतिदिन दर्ज होते है । आरक्षी निरीक्षक इन प्रतिवेदनों को अनुमण्डल पदाधिकारी तथा अनुमण्डल आरक्षी पदाधिकारी को प्रेषित करेंगें जो इन्हें क्रमशः जिला मजिस्ट्रेट तथा आरक्षी अधीक्षक को अग्रसारित करेगें । आरक्षी निरीक्षक नुआंव को निदेश दिया जाता है कि अनुमण्डल पदाधिकारी मोहनियां को नियमित रूप से दैनिक प्रतिवेदन उपलव्ध कराना सुनिश्चित करें ।

39- <u>चौकीदारी पंजी</u>

पुलिस हस्तक के नियम 13 के तहत् विहित प्रपत्र में चौकीदारी पंजी का संधारण किया जाना है । इस पंजी में 19 कॉलम है । इस थाना में में इस पंजी का संधारण किया जाने की बात बताई गयी लेकिन मांग किये जाने पर उपस्थापित नही किया जा सका । इस थाना में पदस्थापित कुल दफादारों के स्वीकृत बल 03 के विरूद्ध 01 दफादार पदस्थापित है तथा चौकीदार के स्वीकृत 20 पद के विरूद्ध 14 चौकीदार पदस्थापित है । पदस्थापित बल से संबंधित पूर्ण विवरणी थाना प्रभारी द्वारा नहीं उपलव्ध कराया जा सका । इन्हें निदेश दिया जाता है कि पदस्थापित दफादारों एवं चौकीदारों से संबंधित पूर्ण विवरणी एक सप्ताह के अन्दर उपलव्ध कराया जाय ।

40- चौकीदार डिपोजिशन पंजी

इस थाना में यह पंजी संधारित की गयी है जो जर्जर स्थिति में है । थाना प्रभारी को निदेश दिया गया कि वे इस पंजी को ठीक करा लें तथा अद्यतन प्रविष्टि इसमें अंकित कर अनुपालन प्रतिवेदन भेजें ।

41- <u>मालखाना पंजी</u>

बिहार आरक्षी हस्तक के नियम 307 के नियम 307 के तहत् फार्म संख्या-51 में मालखाना पंजी को संधारित करना है। इस पंजी में (क) लावारिस सामान(ख) जब्त सम्पत्ति (ग) कुर्की से प्राप्त सम्पत्ति(घ) अपराधिक विचारणों में प्रदर्श के रूप में भेजी गयी सम्प्रति दर्ज की जाती है । इस थाना में यह पंजी संधारित की गयी है जिसका अवलोकन किया । इस थाना में मालखाना से संबंधित विवरणी निम्न प्रकार है :-

कम सं0	काण्ड से संबंधित	आरोप पत्र	F.R.T.	कुर्की जप्ती	सनहा	विविध	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
1	75	38	3	22	5	14	82

थाना प्रभारी को आदेश दिया गया कि मालखाना पंजी को अद्यतन रखा जाय ।

42 <u>मालखाना रिसीट भाउचर</u>

मालखाना रिसीट भाउचर पंजी में सक्षम न्यायालय अथवा दण्डाधिकारी के आदेश से जो भी सामग्री(प्रदर्श) मालखाना से मुक्त किया जाता है उक्त आदेश की प्रति पेस्ट करके रखी जाती है । यह पंजी दो भाग में होती है । इस थाना में यह पंजी संधारित है लेकिन अद्यतन नहीं है । थाना प्रभारी को निदेश दिया जाता है कि अविलम्ब इसको अद्यतन कर लिया जाय ।

43- अनुक्रमणी पंजी

थाना में कितने तरह की पंजियां अथवा संचिकायें संधारित की गयी है उसकी अनुक्रमणी पंजी तैयार की गयी है लेकिन उसमें प्रविष्टि का तरीका सही नही है । थाना प्रभारी को निदेश दिया जाता है कि विहित प्रकिया के अनुरूप पंजी का संधारण सुनिश्चित करते हुए एक माह के अन्दर अनुपालन प्रतिवेदन से अवगत करावें । यदि आवश्यकता हो तो इस संबंध में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी अथवा अंचल अधिकारी से भी दिशा निदेश प्राप्त किया जा सकता है ।

44- गुण्डा पंजी

इस थाना में गुण्डा पंजी संधारित नहीं की गयी है । थाना प्रभारी को निदेश दिया जाता है कि गुण्डा पंजी तैयार कर विगत पांच वर्षो की विवरणी एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध करावें ।

45- अपराध आंकड़ा पंजी

इस थाना में अपराध आंकड़ा पंजी संधारित की गयी है । थाना प्रभारी को बताया गया कि यह महत्वपूर्ण पंजी है इसलिए नियमानुकूल इस संधारण सुनिश्चित किया जाय । अपराध आंकड़ा पंजी का अवलोकन किया और पाया कि इस थाना का विगत पांच वर्षो का अपराध आंकड़ा निम्न प्रकार है :-

वर्ष	हत्या	डकैती	लूट	गृहभेदन	चोरी	भीषण दंगा	साधारण दंगा	अपहरण	बलात्कार	आर्म्स ऐक्ट	N.D.P.S. Act.	अनु.जाति अनु.जनजाति अत्याचारअधि	विविध	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1999	1(1)	1(1)	1(1)	—	3(1)	--	1(1)	1(1)	1(1)	3(3)	3(3)	1(1)	23(21)	41
2000	1(1)	1(1)	--	2(1)	4(1)	--	4(1)	1(1)	--	2(2)	2(2)	--	22(20)	37
2001	3(2)	--	1()	2(1)	9(3)	--	3(3)	--	--	--	--	--	20(15)	38
2002	--	--	1()	4()	--	--	6(6)	4(2)	1()	--	--	--	19(13)1पी	35

2003	--	--	--	4()	1()	--	6(6)	--	--	--	--	--	16(12)1 पी	27
2004	1()	--	1()	3(1)	6(1)	--	5(3)	--	--	--	--	--	16(11)	32

थाना प्रभारी नियमित रूप से इसका संधारण सुनिश्चित करें । अनुमण्डल आरक्षी पदाधिकारी एवं आरक्षी निरीक्षक को भी इसपर निगरानी रखने की आवश्यकता है ।

46- पत्राचार

विहार पुलिस हस्तक के नियम 912 के तहत् प्रपत्रसंख्या-119अ में प्राप्त पत्रों की पंजी एवं प्रपत्र संख्या-119आ में निर्गत पत्रों की पंजी संधारित करना है जिसमें (1)न्यायालय से संबंधित(2) विभाग से संबंधित(3) सीमावर्ती थाना से संबंधित एवं (4) आम जनता से संबंधित पत्रों को संधारित करना है । यह पंजी संधारित है लेकिन विहित प्रपत्र मेंसंधारित नहीं है । इस थाना में सभी पत्रों के लिए एक ही पंजी संधारित है जो उचित नहीं है । थाना प्रभारी को निदेश दिया जाता है कि विहित प्रपत्र में विहित प्रक्रिया के अनुसार पत्रों की पंजी संधारित करना सुनिश्चित करें।

47- कान्सटेबुल नोट बुक

विहार आरक्षी हस्तक के नियम 89(ड.) के तहत् कान्सटेबुल नोट बुक संधारित करना है जिसमें यह उल्लेख रहेगा कि संबंधित कान्सटेबुल द्वारा कौन कौन सा कर्तव्य सम्पन्न किया गया किस कार्य से कहां कहां गया इत्यादि । इस थाना में यह नोट बुक संधारित नहीं है । थाना प्रभारी एक सप्ताह के अन्दर इसको संधारित कराकर अनुपालन प्रतिवेदन देंगें ।

48- प्राथमिकी पंजी

इस थाना में प्राथमिकी पंजी संधारित की गयी है । थाना प्रभारी को बताया गया कि यह पंजी 5 प्रतियों में तैयार की जाती है । दर्ज प्राथमिकी की पहली प्रति मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी को,दूसरी प्रति आरक्षी अधीक्षक,तिसरी प्रति अनुमण्डल आरक्षी पदाधिकारी को चौथी प्रति आरक्षी निरीक्षक को एवं पांचवी प्रति थाना में रखी जाती है । अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रत्येक बृहस्पति वार को जिला स्तर पर आयोजित जनता दरबार में अक्सर लोगों द्वारा यह शिकायत की जाती है कि थाना प्रभारी द्वारा प्राथमिकी दर्ज नहीं की जाती है । चूंकि थाना को प्रथम न्यायालय कहा गया है अतः जब कोई व्यक्ति थाना में अपनी फरियाद को लेकर आता है तो उसे प्रथम न्यायालय न्याय अवश्य मिलना चाहिए । थाना प्रभारी को निदेश दिया जाता है कि जब कोई व्यक्ति थाना में शिकायत लेकर आता है तो उसकी बात पूरी तत्परता से सुनकारी प्राथमिकी दर्ज किया जाय एवं निष्पक्ष होकर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित किया जाय ।

43- अनुक्रमणी पंजी

थाना में कितने तरह की पंजियां अथवा संचिकायें संधारित की गयी है उसकी अनुक्रमणी पंजी तैयार की गयी है लेकिन उसमें प्रविष्टि का तरीका सही नहीं है । थाना प्रभारी को निदेश दिया जाता है कि विहित प्रक्रिया के अनुरूप पंजी का संधारण सुनिश्चित करते हुए एक माह के अन्दर अनुपालन प्रतिवेदन से अवगत करावें । यदि आवश्यकता हो तो इस संबंध में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी अथवा अंचल अधिकारी से भी दिशा निदेश प्राप्त किया जा सकता है ।

44- गुण्डा पंजी

इस थाना में गुण्डा पंजी संधारित नहीं की गयी है । थाना प्रभारी को निदेश दिया जाता है कि गुण्डा पंजी तैयार कर विगत पांच वर्षो की विवरणी एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध करावें ।

45- अपराध आंकड़ा पंजी

इस थाना में अपराध आंकड़ा पंजी संधारित की गयी है । थाना प्रभारी को बताया गया कि यह महत्वपूर्ण पंजी है इसलिए नियमानुकूल इस संधारण सुनिश्चित किया जाय । अपराध आंकड़ा पंजी का अवलोकन किया और पाया कि इस थाना का विगत पांच वर्षो का अपराध आंकड़ा निम्न प्रकार है :-

वर्ष	हत्या	डकैती	लूट	गृहभेदन	चोरी	भीषण दंगा	साधारण दंगा	अपहरण	बलात्कार	आर्म्स ऐक्ट	N.D.P.S. Act.	अनु.जाति अनु.जनजाति अत्याचारअधि	विविध	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1999	1(1)	1(1)	1(1)	--	3(1)	--	1(1)	1(1)	1(1)	3(3)	3(3)	1(1)	23(21)	41
2000	1(1)	1(1)	--	2(1)	4(1)	--	4(1)	1(1)	--	2(2)	2(2)	--	22(20)	37
2001	3(2)	--	1()	2(1)	9(3)	--	3(3)	--	--	--	--	--	20(15)	38
2002	--	--	1()	4()	--	--	6(6)	4(2)	1()	--	--	--	19(13)1पी	35

2003	--	--	--	4()	1()	--	6(6)	--	--	--	--	--	16(12)1 पी	27
2004	1()	--	1()	3(1)	6(1)	--	5(3)	--	--	--	--	--	16(11)	32

थाना प्रभारी नियमित रूप से इसका संधारण सुनिश्चित करें । अनुमण्डल आरक्षी पदाधिकारी एवं आरक्षी निरीक्षक को भी इसपर निगरानी रखने की आवश्यकता है ।

46- पत्राचार

बिहार पुलिस हस्तक के नियम 912 के तहत् प्रपत्रसंख्या-119अ में प्राप्त पत्रों की पंजी एवं प्रपत्र संख्या-119आ में निर्गत पत्रों की पंजी संधारित करना है जिसमें (1)न्यायालय से संबंधित(2) विभाग से संबंधित(3) सीमावर्ती थाना से संबंधित एवं (4) आम जनता से संबंधित पत्रों को संधारित करना है । यह पंजी संधारित है लेकिन विहित प्रपत्र मेंसंधारित नहीं है । इस थाना में सभी पत्रों के लिए एक ही पंजी संधारित है जो उचित नहीं है । थाना प्रभारी को निदेश दिया जाता है कि विहित प्रपत्र में विहित प्रक्रिया के अनुसार पत्रों की पंजी संधारित करना सुनिश्चित करें।

47- कान्सटेबुल नोट बुक

बिहार आरक्षी हस्तक के नियम 89(ड.) के तहत् कान्सटेबुल नोट बुक संधारित करना है जिसमें यह उल्लेख रहेगा कि संबंधित कान्सटेबुल द्वारा कौन कौन सा कर्तव्य सम्पन्न किया गया किस कार्य से कहां कहां गया इत्यादि । इस थाना में यह नोट बुक संधारित नहीं है । थाना प्रभारी एक सप्ताह के अन्दर इसको संधारित कराकर अनुपालन प्रतिवेदन देंगें ।

48- प्राथमिकी पंजी

इस थाना में प्राथमिकी पंजी संधारित की गयी है । थाना प्रभारी को बताया गया कि यह पंजी 5 प्रतियों में तैयार की जाती है । दर्ज प्राथमिकी की पहली प्रति मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी को,दूसरी प्रति आरक्षी अधीक्षक,तिसरी प्रति अनुमण्डल आरक्षी पदाधिकारी को चौथी प्रति आरक्षी निरीक्षक को एवं पांचवी प्रति थाना में रखी जाती है । अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रत्येक बृहस्पति वार को जिला स्तर पर आयोजित जनता दरबार में अक्सर लोगों द्वारा यह शिकायत की जाती है कि थाना प्रभारी द्वारा प्राथमिकी दर्ज नहीं की जाती है । चूंकि थाना को प्रथम न्यायालय कहा गया है अतः जब कोई व्यक्ति थाना में अपनी फरियाद को लेकर आता है तो उसे प्रथम न्यायालय न्याय अवश्य मिलना चाहिए । थाना प्रभारी को निदेश दिया जाता है कि जब कोई व्यक्ति थाना में शिकायत लेक आता है तो उसकी बात पूरी तत्परता से सुनकारी प्राथमिकी दर्ज किया जाय एवं निष्पक्ष होकर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित किया जाय ।

49- अप्राथमिकी पंजी

इस थाना में अप्राथमिकी पंजी संधारित की गयी है । पंजी का अवलोकन किया और पाया कि इस थाना में विगत पांच वर्षो का अप्राथमिकी से संबंधित आंकड़ा निम्न प्रकार है -

वर्ष	107दं0प्र0सं.	144दं0प्र0सं0	116दं0प्र0स0	113दं0प्र0सं0	109द्र0प्र0सं0	182/211भा0दं0वि0	290भा0दं0वि0	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1999	24	17	1	--	--	--	--	42
2000	33	7	1	3	--	--	--	44
2001	51	13	--	9	--	--	--	73
2002	50	--	5	2	--	--	--	57
2003	52	1	--	--	--	--	--	53
2004	43	4	16	--	--	1	--	64

उपरोक्त विवरणी के अवलोकनोपरान्त थाना प्रभारी नुआंव को निम्नांकित निदेश दिये गये :-

1. धारा 107 का कार्यान्वयन किया जाय
2. प्रतिदिन का प्रतिवेदन भेजा जाय
3. संधारित की सभी पंजी जीर्णशीर्ण अवस्था में है इसको वाईडिंग करा दिया जाय
4. उपरोक्त मामलों से संबंधित एक विवरणी उपलब्ध कराई जाय जिससे स्पष्ट हो सके कि कितने मामले निष्पादित किये गये और कितने मामले लम्बित हैं ।

50- चरित्र सत्यापन

बिहार आरक्षी हस्तक के नियम 92क में नियोजनार्थियों के पूर्व सचित्र सत्यापन हेतु निदेश दिये गये है । थाना प्रभारी को निदेश दिया जाता है कि इस वर्ष प्राप्त चरित्र सत्यापन के आवेदन पत्रों की विवरणी एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें साथ ही यह भी सुनिश्चित करेगें कि चरित्र सत्यापन के जो भी मामले प्राप्त होते है उसका निष्पादन अधिकतम सात दिनों के अन्र करके संबंधित विभाग को लौटा दें ताकि संबंधित व्यक्ति को नियोजन से बंचित नही होना पड़ें ।

51- सम्मान गार्ड

निरीक्षण हेतु पहुंचने पर सम्मान गार्ड कवायद द्वारा सलामी दी गयी । पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पहुंचने के बाद भी सम्मान गार्ड के आरक्षियों को चुस्त दुरूस्त नहीं देखा गया । थाना प्रभारी को निदेश दिया जाता है कि अपने अधीनस्थों को प्रात्साहित करें ।

52 थाना प्रभारी का कर्तव्य

थाना प्रभारी के कर्तव्य एवं दायित्व के बारे में पूछे जाने पर श्री जयशंकर झा,थाना प्रभारी नुआंव द्वारा स्पष्ट नहीं किया जा सका । अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों की जानकारी सभी थाना प्रभारियों को प्रशिक्षण की अवधि में ही दे दी जाती है । बिहार पुलिस हस्तक के नियम 81क में थाना प्रभारी का कर्तव्य एवं दायित्व निम्न प्रकार निर्धारित किया गया है :-

1. अधिक्षेत्र वासियों की गहरी जानकारी तथा उनका सहयोग और सहानुभूति प्राप्त करना
2. अपराध और अपराधियों,संदिग्ध व्यक्तियों और अजनवियो के संबंध में चौकीदारों से यथारीति अविलम्ब व्योरे प्राप्त करना।
3. अपराधियों तथा संदिग्ध व्यक्तियों पर आवश्यक निगरानी बरतना ।
4. अपराधी निदेशिका तथा निगरानी अभिलेखों को यत्न से रखना तथा मनन करना ।
5. सड़क गश्त की व्यवस्था करना
6. अपजीविका के केशों में अभियोजन रिपोर्ट उपस्थापित करना ।
7. सीमावर्ती थानों के अधिकारियों के साथ अधिक से अधिक सहयोग करना ।

थाना प्रभारी का उपरोक्त कर्तव्य एवं दायित्व निर्धारित करते हुए थाना प्रभारी नुआंव को निदेश दिया गया कि उक्त दायित्वों के साथ साथ अन्य निदेशों का अनुपालन सख्ती से सुनिश्चित करें ।

53 अन्यान्य

- जिला विधि अनुश्रवण समिति की बैठक में पी0पी0 द्वारा यह शिकायत की जाती है कि अनुसंधानकर्त्ता की डायरी के अभाव में बहुत सारे मामलों में एक्युटल का सामना करना पड़ता है । अतः थाना प्रभारी को निदेश दिया जाता है कि गवाह प्रस्तुत करने के लिए जो सम्मन भेजे जाते है उसका तामिला निर्धारित समय सीमा के अन्दर कराकर अनुपालन प्रतिवेदन भेजेंगें एवं केश डायरी की मांग किये जाने पर ससमय उपलब्ध करायेगें ।

- ए0पी0पी0 द्वारा जिला विधि अनुश्रवण समिति की बैठक में जानकारी दी जाती है कि अनुसंधान प्रतिवेदन के अभाव में काण्डों के निष्पादन में कठिनाई होती है । अतएव थाना प्रभारी लम्बित काण्डों के अनुसंधान का कार्य त्वरित गति से निष्पादित कराते हुए प्रतिवेदन समर्पित करेंगें ।
- नीलाम पत्र वादों में निर्गत डी0डब्लयू0 का सख्ती से कार्यान्वयन कराना सुनिश्चित करें ताकि प्रमादी व्यक्तियों के विरूद्ध कडी कार्रवाई की जा सके एवं राजस्व की वसूली में प्रगति लाई जा सके ।
- भूमि विवाद का स्थायी समाधान निकालें । अतिक्रमण हटाने/शांति व्यवस्था कायम करने में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी से सम्न्वय स्थापित कर नियमित स्पर्क कर अपेक्षित सहयोग दें ।
- गरीब एवं असहाय व्यक्ति/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के प्रति पूर्ण सहानुभूति रखें एवं उनके साथ सहृदयता से पेश आयें । चरित्र सत्यापन का प्रतिवेदन ससमय भेजें ।

54 <u>निष्कर्ष</u>

नुआंव थाना का कार्यकलाप संतोषप्रद ही कहा जा सकता है । थाना प्रभारी को स्वयं तथा अपने अर्धानस्थों को चुस्त-दुरूस्त एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूक रखने की आवश्यकता है । महत्वपूर्ण पंजियों का संधारण सही ढ़ंग से विहित प्रक्रिया किये जाने की आवश्यकता है । त्रुटियों के निराकरण हेतु निदेश दे दिये गये है । यदि उसका अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित कर लिया जाता है तो इस थाना के कार्यकलाप में गुणात्मक सुधार आ जायेगा । चूंकि नुआंव थाना रोहतास,बक्सर एवं उत्तरप्रदेश की सीमा पर अवस्थित है अतएव थाना प्रभारी को अपने कर्तव्यों के प्रति अत्यधिक सजग एवं सचेष्ट रहने की आवश्यकता है ।

ह0/-
(बी0 राजेन्दर)
समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
कैमूर(भभुआ)

ज्ञापांक- 623/गो० दिनांक- 04.04.2005

प्रतिलिपि मुख्य सचिव बिहार सरकार पटना की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपि महानिदेशक एवं आरक्षी महानिरीक्षक बिहार पटना की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपि गृह सचिव,गृह(आरक्षी) विभाग बिहार पटना की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपि आरक्षी महानिरीक्षक(प्रशासन) बिहार पटना की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपि आरक्षी महानिरीक्षक पटना प्रक्षेत्र,बिहार पटना की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपि आयुक्त पटना प्रमण्डल पटना की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपि आरक्षी उप महानिरीखक शाहाबाद प्रक्षेत्र डालमियांनगर डिहरी ऑन सोन को सूचनार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपि आरक्षी अधीक्षक कैमूर(भभुआ) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपि अनुमण्डल पदाधिकारी मोहनियां को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।
प्रतिलिपि अनुमण्डल आरक्षी पदाधिकारी मोहनियां को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।
प्रतिलिपि थाना प्रभारी नुआंव को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित ।

Rajender 4.4.2005

(बी० राजेन्दर)
समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
कैमूर(भभुआ)